महानिदेशालय कारगार राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: स्था./एच.ओ./III/नि.प./ 2420-58 दिनांक 16/4/15

आदेश

विभाग में नवनियुक्त प्रहरियों के नियुक्ति आदेश में यह शर्त अंकित की जाती है कि आशार्थी राजस्थान सेवा नियमों के नियम 22 ए (1) के अनुसार प्रशिक्षण की अवधि में या उस प्रशिक्षण को पूर्ण करने के दो वर्ष की अवधि में राजस्थान कारागार अधीनस्थ सेवा से त्याग पत्र देता है अथवा अन्य स्थान पर नियुक्ति हेतु चला जाता है तो वह प्रशिक्षण अवधि में प्राप्त हुई धन राशि एवं राज्य सरकार द्वारा प्रशिक्षण पर किये गये व्यय की राशि एक मुश्त लौटाने हेतु बाध्य होगा तथा इस संबंध में निर्धारित प्रारूप में बन्ध पत्र (बॉण्ड) प्रस्तुत करना होगा।

प्राय: ऐसा देखने में आया है कि आशार्थी का चयन ऐसे पद पर हो जाने पर जहां विभाग में प्राप्त प्रशिक्षण उसकी नयी नियुक्ति में भी उपयोगी सिद्ध होने वाला हो से भी बन्ध पत्र के अनुसार प्रशिक्षण अवधि में प्राप्त हुई धन राशि एवं राज्य सरकार द्वारा प्रशिक्षण पर किये गये व्यय की राशि की वसूली की जा रही है।

राजस्थान सेवा नियम 22 ख (1) में यह प्रावधान है कि इस प्रकार की वसूली करना आवश्यक नहीं होगा यदि जो प्रशिक्षण सरकारी कर्मचारी को दिया गया था वह सरकार के अभिमत में उसकी नयी नियुक्ति में भी उपयोगी सिद्ध होने वाला हो ।

अत: ऐसे कर्मचारी जिनका परीविक्षा प्रशिक्षण अवधि में रहते हुए अन्य सेवा में ऐसे पद पर चयन हो जाने पर जहां विभाग में प्राप्त प्रशिक्षण उसकी नयी नियुक्ति में भी उपयोगी सिद्ध होने वाला हो से इस संबंध में बन्धक पत्र की शर्तो के अनुसार राशि जमा न कर बन्ध पत्र की शर्तो से मुक्त करने संबंधी प्रार्थना पत्र प्राप्त कर इस कार्यालय के परिपत्र दिनांक 24.12.2014 के अनुसार प्रकरण तेयार कर भिजवावे।

ह०

(अजीत सिंह)
महानिदेशक एवं महानिरीक्षक
कारागार राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. उप महानिरीक्षक कारागार रेंज, जोधपुर, जयपुर, उदयपुर।

2. प्राचार्य, कारागार प्रशिक्षण संस्थान, अजमेर।
3. समस्त अधीक्षक, केन्द्रीय/जिला कारागृह, राजस्थान।
4. समस्त उप अधीक्षक, जिला कारागृह, राजस्थान।
5. उप अधीक्षक, महिला बंदी सुधारगृह, जयपुर।
6. रक्षक पत्रावली।

महानिदेशक एवं महानिरीक्षक
कारागार राजस्थान, जयपुर